संख्या– /XXIV–2/2016–06(01)/2008

प्रेषक,

रंजना,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 29 मार्च, 2016

विषय– विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के ढांचे में स्वीकृत पदों के स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या/सेवा–3(4)/28305–06/2015–16 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः 605/XXIV-2-2010-06(1)/2008 दिनांक 06 जुलाई, 2010 तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा मिनिस्ट्रियल संवर्ग में पूर्व से सृजित पदो के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 355(1)/XXX(2)/15–30(51)/2015 दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 के कम में निम्नानुसार स्टाफिंग पैर्टन लागू करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क0 सं0	पदनाम	वर्तमान संख्या		प्रस्तावित संख्या	
		प्रतिशत	ढांचे में स्वीकृत पद	प्रतिशत	प्रस्तावित पद
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	0	0	2	90
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	0	32	10	451
3	प्रशासनिक अधिकारी	20	746	10	451
4	प्रधान सहायक	18	919	18	811
5	वरिष्ठ सहायक	30	1297	28	1261
6	कनिष्ठ सहायक	32	1512	32	1442
	योग		4506		4506

उक्त संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार कार्यालयवार पदों का विभाजन/मात्राकरण निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड अपने स्तर से यथा आवश्यकता तथा कार्य की अधिकता (Work Loard) के आधार पर सुनिश्चित करेंगे।

भवदीया,

(रंजना)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या – 323 (1)/ XXIV–2/2016–06(01)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
4– अपर निदेशक, (माध्यमिक/प्रारम्भिक) गढवाल मण्डल पौडी, कुमायू मण्डल नैनीताल।
5– अनुभाग अधिकारी, कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्याः सेवायें–3(4) / 542 / 2015–16 दिनांक 31 मार्च 2016

कार्यालय– ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 355(1) / XXX(2) / 15–30(51) / 2015 दिनांक 06 अक्टूबर 2015 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 181 / XXX(2) / 2010 दिनांक 11.02.2010 द्वारा लागू स्टाफिंग पैटर्न को संशोधित किये जाने के फलस्वरूप निदेशालय के पत्रांकः सेवायें–3(4) / 28305–06 / 2015–16 दिनांक 23 जनवरी 2016 द्वारा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया था।

2– उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः 323 / XXIV–2 / 2016–06(01) / 2008 दिनांक 29 मार्च 2016 द्वारा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3– उक्त के फलस्वरूप विद्यालयी शिक्षा विभाग में निम्नानुसार नवीन स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत सृजित पदों का वेतनक्रमानुसार विवरण निम्नवत् हैः–

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	नवीन स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15,600–39,100 ग्रेड वेतन 5400	90	2
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34,800 ग्रेड वेतन 4800	451	10
3	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34,800 ग्रेड वेतन 4600	451	10
4	प्रधान सहायक	9300–34,800 ग्रेड वेतन 4200	811	18
5	वरिष्ठ सहायक	5200–20,200 ग्रेड वेतन 2800	1261	28
6	कनिष्ठ सहायक	5200–20,200 ग्रेड वेतन 2000	1442	32
योग			**4506**	

4– उक्त मात्राकृत पदों का कार्यालयी आवश्यकतानुसार महानिदेशालय स्तर से रा0उ0प्रा0वि0 तक सृजित पदों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

5– नवीन मात्राकरण के फलस्वरूप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद प्रदेश / मण्डल / जनपद एवं विकास खण्ड स्थित कार्यालयों के साथ ही शैक्षिक / प्रशिक्षण संस्थाओं में भी सृजित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में इन पदों पर तैनात कार्मिक कार्यालयी आवश्यकतानुसार पटलों का कार्य भी सम्पादित करेंगे। साथ ही जब तक नवीन मात्राकृत पदों के अनुसार वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों का उनके मौलिक पदों पर समायोजन नहीं होता है तब तक सम्बन्धित कार्मिक पद के प्रति तैनात समझे जायेंगे।

31/3/16

(सीमा जौनसारी)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्याः सेवायें–3(4)/32583-97 /2015–16 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को मात्राकृत पदों की सूची सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
7. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अपर निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
9. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, प्रा0शि0।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, प्रा0शि0।
11. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0।
12. प्राचार्य डायट सम्बन्धित जनपद द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0।
13. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0।
14. समस्त प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 (बालक/बालिका)/प्रधानाध्यापक, रा0उ0मा0वि0 (बालक/बालिका)/ प्रधानाध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 द्वारा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
15. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञाप एवं परिशिष्ट 'क' को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
16. कार्यालय गार्ड फाईल।

संलग्नः– परिशिष्ट 'क'।

(महावीर सिंह बिष्ट)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड